भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1482

उत्तर देने की तारीख: 29.07.2025

तमिलनाडु में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

1482. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित देश में अनुसूचित जाति (अ.जा.) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की कुल संख्या कितनी है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पात्र अनुसूचित जाति के छात्र इस योजना से अवगत हों और समय पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकें और इसे प्राप्त कर सकें;

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित राज्य-वार अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास तमिलनाडु सहित राज्य-वार, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की पहुँच बढ़ाने और अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों, विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को लाभान्वित करने के लिए योजना का विस्तार करने या संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्र प्रायोजित 'अनुसूचित जाति (अ.जा.) के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' को अनुसूचित जाति आबादी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान योजना के तहत तमिलनाडु सहित राज्यवार छात्रों की संख्या और जारी केंद्रीय हिस्से का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय हिस्सा (रुपये करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	3,03,298	605.71
2	असम	12,073	8.74
3	बिहार	73,615	23.97
4	चंडीगढ़	1,253	2.70
5	छत्तीसगढ़	87,675	39.96
6	दिल्ली	4,692	22.19
7	गोवा	58	0.08
8	गुजरात	1,57,584	399.93
9	हरियाणा	55,444	94.89
10	हिमाचल प्रदेश	33,149	35.64
11	जम्मू और कश्मीर	6,567	4.09
12	झारखंड	57,784	45.04
13	कर्नाटक	4,04,008	422.90
14	केरल	1,47,531	160.70
15	मध्य प्रदेश	6,36,303	486.74
16	महाराष्ट्र	3,62,808	929.92
17	मणिपुर	7,938	6.76
18	मेघालय	25	0.10
19	ओडिशा	1,91,873	181.51
20	पुडुचेरी	2,694	3.20
21	पंजाब	2,94,284	410.42
22	राजस्थान	2,29,002	180.59
23	सिक्किम	172	0.44
24	तमिलनाडु	9,34,793	1032.09
25	त्रिपुरा	19,849	51.61
26	उत्तर प्रदेश	6,44,827	366.02
27	उत्तराखंड	26,216	19.69
28	पश्चिम बंगाल	1,08,693	26.63
कुल		**48,04,208**	**5,562.24**

(ग): यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों को योजना की जानकारी हो तथा सभी पात्र अनुसूचित जाति के छात्र समय पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकें और उसे प्राप्त कर सकें, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. प्रचार-प्रसार और जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं;
ii. योजना के अंश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं;
iii. विज्ञापन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड, स्कूल समितियों, अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठकों में चर्चाओं और अन्य जागरूकता उपायों के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान भी चलाते हैं।

(घ): अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ): योजना के दिशानिर्देश हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श के बाद तथा वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 2021 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद तैयार किए गए थे।

*****